सदस्यों की योग्यताएँ (Qualifications of Members)

(अनु. 173) - वह भारत का नागरिक हो, ऐसी अन्य योग्यताएँ रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। (विधानसभा / विधानपरिषद्)

(Art. 173) - He must be a citizen of India and must possess such other qualifications as may be prescribed by any law made by Parliament.



(1) भारत का नागरिक
(2) न्यूनतम आयु
  - विधानसभा (MLA) => 25 वर्ष
  - विधानपरिषद् (MLC) => 30 वर्ष
(3) लाभ के पद पर न हो।
(4) पागल न हो।
(5) दिवालिया न हो।
(6) दल-बदल कानून के तहत् अयोग्य न हो।

सदस्यों की अर्हताएँ Qualifications of Members

संविधान के अनु. 173) के अनुसार किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह –

According to Article 173 of the Constitution, for a person to be elected as a member of the Legislative Council, it is necessary that he -

(i) भारत का नागरिक हो। is a citizen of India.

(ii) 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तथा,

has completed the age of 30 years. And,

(iii) ऐसी अन्य अर्हताएँ रखता हो जो कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हों। has such other qualifications as may be prescribed by any law made by the Parliament.

सदस्यों की अयोग्यता (Disqualification of Members)

संविधान के अनु. 191 –

(i) जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है। या Who holds an office of profit under the Government of India or any State Government. Or

(ii) जो सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त (Unsound Mind) घोषित कर दिया गया हो। या Who has been declared of unsound mind by a competent court. Or

(iii) जो घोषित दिवालिया (Insolvent) है। या

Who is declared insolvent. Or

(iv) जो भारत का नागरिक नहीं है। या Who is not a citizen of India. Or

(v) जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया है। या Who has been disqualified under a law made by Parliament. Or

(vi) जो दल-बदल के कारण अयोग्य है।

Who is disqualified due to defection.



सदस्यों की अनर्हता पर विनिश्चय

Decision on disqualification of members

अनुच्छेद 192) के) अधीन कोई सदस्य किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण राज्यपाल के विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा जो निर्वाचन आयोग की राय से अपना निर्णय देगा।

The question as to whether a member has become subject to any disqualification under article 192 shall be referred to the Governor who shall give his decision in consultation with the Election Commission.

अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्धारण कौन करेगा ⇒ राज्यपाल द्वारा किया जायेगा, लेकिन निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद ⇒ Art. 192

MLA/MLC ↓

Q ⇒ अगर निर्योग्यता का प्रश्न दल-बदल के आधार पर उठता है तो इसका निर्धारण कौन करेगा ? ⇒ विधानसभा का अध्यक्ष (Speaker of Legislative Assembly) / विधानपरिषद् का सभापति (Chairman of Legislative Council)



Q ⇒ अगर कोई निर्योग्यता का प्रश्न किसी सदस्य पर MP/MLA/MLC बनने से पहले उठता है तो इसका निर्धारण कौन करेगा ?

⇓ Court (न्यायालय)

(अनु. 172) कार्यकाल उसके प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। इस अवधि के पूर्व भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विघटित (Disolved) की जा सकती है। आपात काल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(Article 172) The term of the Assembly is 5 years from the date of its first meeting. Even before this period, it can be dissolved by the Governor on the advice of the Chief Minister. If the declaration of emergency is in force, the Parliament can extend the term of the Assembly by law, which will not be more than one year at a time.

⇒ विधानसभा का कार्यकाल → Art. 172 (Tenure of LA)

→ प्रथम बैठक के दिन से 5 वर्ष

→ राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से 5 वर्ष पूर्व (Before 5 year's) भंग / विघटित (Dissolved) की जा सकती है।

⇒ राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के समय इसके कार्यकाल को संसद द्वारा (By the Parliament) 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

पदाधिकारी Officer

इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है।

Both of them are elected by the members of the Legislative Assembly from among their own members and their tenure is till the tenure of the Legislative Assembly. The Speaker can give his resignation to the Deputy Speaker and the Deputy Speaker can give his resignation to the Speaker.

इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है* किन्तु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष (जिनके विरुद्ध प्रस्ताव हो) को देना आवश्यक है

Both of them can be removed on the basis of a resolution passed by a simple majority of the members of the Legislative Assembly* but it is necessary to give notice of such a resolution 14 days in advance to the Speaker or Deputy Speaker (against whom the resolution is being made)

विधानसभा

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष (Speaker & D. Speaker)

(1) ये दोनों MLA होते हैं।

(2) ये विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं।

(3) कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 वर्ष

(4) त्यागपत्र (Resignation) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को देता है।

उपाध्यक्ष का कार्य → जब अध्यक्ष का पद रिक्त या वह अपने पद पर अनुपस्थित है, तब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

विधानपरिषद

सभापति / उपसभापति (Chairman / Vice-chairman)

ये दोनों MLC होते हैं।

→ ये विधानपरिषद सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं।

→ कार्यकाल ⇒ 6 वर्ष

त्यागपत्र → सभापति, उपसभापति को और उपसभापति सभापति को देता है।

⇒ उपसभापति → जब सभापति का पद रिक्त हो या वह अपने पद पर अनुपस्थित हो, तब उपसभापति, सभापति के रूप में कार्य करेगा।

अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य Powers and functions of the Chairman

वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।

सभापति के कार्य → विधानपरिषद

He presides over the meetings of the Assembly and conducts the proceedings of the House.

वह सदन में शांति और व्यवस्था बनाये रखता है? अध्यक्ष / सभापति

He maintains peace and order in the House?

वह सदन की कार्यवाही को स्थगित या निलम्बित कर सकता है? – अध्यक्ष / सभापति

Can he adjourn or suspend the proceedings of the House?

कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है अथवा नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। (केवल अध्यक्ष का कार्य है। सभापति का नहीं।)

The Speaker decides whether a bill is a Money Bill or not.

वह किसी प्रश्न पर मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा करता है। → अध्यक्ष/सभापति

He puts a question to vote and announces the result.

यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आयें, तो वह 'निर्णायक मत' का प्रयोग करता है।* → अध्यक्ष/सभापति

If there are equal votes in favour and against a question, then he uses the 'casting vote'.*



(विधान परिषदं (Legislative Council)

↳ U.P. बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना

→ Art. 171

⇒ विधानपरिषद की संरचना / गठन (Composition of Legislative council)

↳ सदस्यों से (MLC)

⇒ अधिकतम सदस्य (Maximum Members) ⇒ विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 (total members of Legislative Assembly × 1/3)

⇒ न्यूनतम सदस्य (Minimum members) ⇒ 40

⇒ सबसे बड़ी विधानपरिषद उत्तर प्रदेश (U.P.) की है।
इसमें 100 सीट हैं।

विधान परिषद का गठन (Constitution of Legislative Council)

अनु. 171 विधान परिषदों की रचना या गठन के बारे में है। किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी, किन्तु किसी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक (100) सदस्य हैं।

Article 171 deals with the composition or formation of Legislative Councils. The total number of members of the Legislative Council in a state shall not exceed one third (1/3) of the total number of members of the Legislative Assembly of that state, but the total number of members of a Legislative Council shall not be less than 40 in any case. The Legislative Council of Uttar Pradesh has the maximum number of members (100).

सदस्यों का निर्वाचन (Election of Members)

अनु. 171 (3) के अनुसार -

⇒ अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect election)

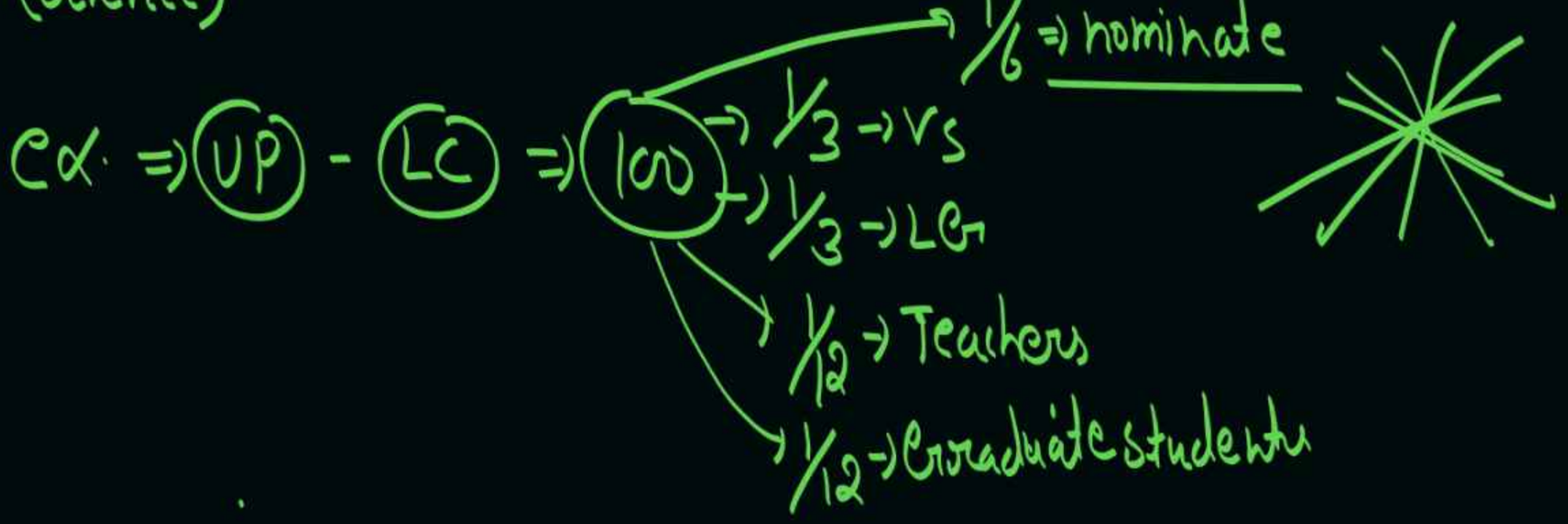


Voters/मतदाता

1/3 → सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा (MLA's)
1/3 → " " " स्थानीय सरकारों द्वारा (By the Local Government)
1/12 → " " " अध्यापकों द्वारा (By the Teachers)
1/12 → " " " स्नातक विद्यार्थियों द्वारा (By the Graduate student)

1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत
(Nominated by the Governor)

→ कला (Art)
→ साहित्य (Literature)
→ विज्ञान (Science)
→ समाज सेवा (Social service)
→ सहकारी आंदोलन (Cooperative Movement)



कार्यकाल (Term of Office)

विधान परिषद एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर उतने ही नये सदस्य निर्वाचित कर लिये जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधानपरिषद का सदस्य रहता है।

The Legislative Council is a permanent house. It is never dissolved, rather one-third of its members retire at the end of every second year and the same number of new members are elected in their place. Thus, each member remains a member of the Legislative Council for 6 years.

पदाधिकारी Officer

अनु. 182 के अनुसार विधानपरिषद के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। सभापति और उपसभापति इन दोनों का चुनाव विधानपरिषद अपने सदस्यों में से करती है। सभापति अपना त्याग-पत्र उपसभापति को तथा उपसभापति अपेना त्याग-पत्र सभापति को भेजता है।

According to Article 182, there are two main officers of the Legislative Council. The Legislative Council elects the Chairman and the Deputy Chairman from among its members. The Chairman sends his resignation to the Deputy Chairman and the Deputy Chairman sends his resignation to the Chairman.

सभापति या उपसभापति को परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया भी जा सकता है संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना सभापति या उपसभापति को (जिसे हटाना है) न दे दी गयी हो।

The Chairman or the Deputy Chairman may also be removed from his office by a resolution passed by a majority of all the then members of the Council, provided that at least fourteen days' notice of the intention to move the resolution has been given to the Chairman or the Deputy Chairman (who is to be removed).

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण Making Oath by Members

(अनु. 188) –

अधिवेशन और गणपूर्ति (Meeting and Quorum)

(विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

साधारण विधेयक की प्रक्रिया Procedure of Ordinary Bills

साधारण विधेयकों को विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है (अनु. 196)।

Ordinary Bills can be introduced in either House of the Legislative Assembly or the Legislative Council (Article 196).

धन विधेयक की प्रक्रिया (Procedure of Money Bills)

अनु. 198 के तहत राज्य विधानमण्डलों द्वारा धन विधेयक पारित करने के सम्बन्ध में एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया। धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

Article 198 provides for a special procedure for passing money bills by state legislatures. Money bills are introduced only in the Legislative Assembly.

धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश (Recommendation) आवश्यक है। विधानपरिषद को धन विधेयक 14 दिन के अन्दर सिफारिशों सहित विधान सभा को लौटाना होता है।

The recommendation of the Governor is necessary to present a money bill. The Legislative Council has to return the money bill to the Legislative Assembly with recommendations within 14 days.